HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Contempt Petition No. 999/2023

Sudarshana Bagda Wife Of Shri Mani Bhadra Bagda

----Petitioner

Versus

Smt. Nalini Kathotia Secretary

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ankul Gupta, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kuri, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

13/10/2025

यह अवमानना याचिका S. B. Civil Writ Petition No. 13586/2009 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2023 की अवमानना के संबंध में प्रस्तुत की गई है, इस आदेश का सुसंगत भाग निम्नानुसार हैः—

> "For the reasons stated above, this court is not inclined to interfere with the order impugned. The petitioner-JDA is directed to allot the said Plot No.124A to the respondent no.1, within a period of 90 days from the date of receipt of copy of this order."

विद्वान अधिवक्ता याची का निवेदन है कि उपरोक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा D. B. Special Appeal Writ No. 177/2024 प्रस्तुत की गई थी, जिसमें जयपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में कोई स्थगन आदेश पारित नहीं हुआ है, स्थगन याचिका खारिज हो चुकी है तथा अपील Admit हो रखी है।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण का निवेदन है कि न्यायिक निर्णय Gulab Kothari & Ors. Vs. State of Rajasthan & Ors. 2017 (2) RNW 1178 (Raj.)

तथा Rakesh & Ors. Vs. State of Rajasthan & Ors. WLC 2011 (4) Page 91 में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार पारित आदेश की पालना संभव नहीं है।

उपरोक्त परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि पारित आदेश की आज तक पालना नहीं की गई है तथा खण्डपीठ से भी जयपुर विकास प्राधिकरण को कोई राहत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, अतः ऐसी स्थिति में जब तक यह आदेश प्रभाव में है, विपक्षीगण द्वारा पालना किया जाना आज्ञापक है। अवमानना याचिका में पारित मूल आदेश विधिपूर्ण है अथवा नहीं, इस संबंध में टीका–टिप्पणी करने का इस न्यायालय को अधिकार नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता याची का निवेदन है कि वे जयपुर विकास प्राधिकरण के वर्तमान दायित्वाधीन अधिकारियों को भी पक्षकार बनाना चाहते हैं, अतः आवेदन प्रस्तुत करने हेतु समय दिया जाता है तथा विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण को यह आदेश दिया जाता है कि आगामी पेशी तक आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा विपक्षी क्रम–1 व 2 तथा वर्तमान सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण तथा उपायुक्त जोन–7 को भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रखा जावे ताकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुनकर उचित आदेश पारित किया जा सके। विपक्षीगण के आगामी पेशी पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध वारण्ट जारी किया जा सकेगा।

प्रकरण दिनांक 06.11.2025 को पुनः इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /79